**प्रेस नोट**

**थाना पालीमुकीमपुर**

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – दिनाँक 19/04/19 को वादिया श्रीमती अनीता देवी पत्नी रामविलास निवासी नरूपुरा थाना पालीमुकीमपुर अलीगढ़ द्वारा वादिया के पुत्र पवन उम्र लगभग 4 वर्ष की हत्या गला दबा कर दिनाँक 15-04-2019 को गाँव नरूपुरा से दूर पानी के बम्बे मे डाल देने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 90/19 धारा 302/201 भादवि बनाम अभियुक्त गण विनोद व डैनी पुत्रगण रामभरोसे निवासी गण नरूपुरा थाना पाली मुकीमपुर अलीगढ के पंजीकृत कराया था , जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ श्रीमान आकाश कुलहरि महोदय के आदेशानुसार व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री मणिलाल पाटीदार के निर्देशन में व श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक अतरौली श्री प्रशांत सिंह के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित कर मैं थानाध्यक्ष थाना पालीमुकीमपुर सुधीर कुमार मय हमराही है.का. 119 अरविन्द कुमार मय का. 2173 सूरजभान सिंह मय सरकारी सूमो गोल्ड नं0 UP 81 AG 0942 मय चालक है.का. रामसेवक तलाश वाँछित व विवेचना मु0अ0स0 90/19 धारा 302/201 भादवि मे मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद उपरोक्त कही जाने की फिराक मे सफेद सर्ट व काली पेन्ट पहने पनेहरा तिराहा पर खडा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है तो मै थानाध्यक्ष मय हमराही यान के पनेहरा तिराहा के पास पहुँचा जैसे ही हम पुलिस वाले उसकी तरफ बढे तो वह तेज कदमों से चलने लगा तो एक बारगी दबिश देकर अभियुक्त को करीब.07.45 बजे पकड लिया तथा अभियुक्त विनोद द्वारा बताया गया कि मैं और वादिया श्रीमती अनीता देवी आपस मे सगे देवर भाभी है और दोनो के आपस मे प्रेम सम्बन्ध थे। करीब दो माह पहले हम दोंनों मे प्रेम सम्बन्ध को लेकर विवाद हो गया था और इसी बात को लेकर मैं (अभियुक्त) विनोद अपने भतीजे पवन कुमार उम्र करीब 4 वर्ष को घर से शाम 07.00 बजे करीब दुकान से चीज दिलाने के बहाने से ले गया था और गाँव में इस्लामिया मदरसे के पीछे दिनांक 14/04/19 को सांय करीब 08.00 बजे गला दबाकर हत्या कर दी थी और उस समय मृत शरीर को वही झाडी मे छिपा कर रख दिया था और दिनांक 15.04.19 की सुबह 04.00 बजे करीब अभियुक्त विनोद द्वारा स्वंय अपने भतीजे पवन कुमार की लाश को झाडी से उठाकर बम्बे मे पानी मे डाल दिया था।

**नाम अभियुक्त –**

विनोद पुत्र रामभरोसे निवासी नरूपुरा थाना पाली मुकीमपुर अलीगढ़

**आपराधिक इतिहास –**

मु0अ0स0 90/19 धारा 302/201 भादवि

**गिरफ्तारी का स्थान:-**

पनेहरा तिराहा

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1. एसओ सुधीर कुमार थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ
2. है का 119 अरविन्द कुमार थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ
3. का. 2173 सूरजभान थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ

मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अलीगढ़।